यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

(2)

वाद सं0–173/2021 धारा–144 दं0प्र0स0

मेधन यादव –बनाम– खेमन यादव वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर उभय पक्षों के विरूद्ध दिनांक 29.07.2021 को दं0प्र0सं0 धारा–144 के अन्तर्गत आरम्भ की गयी है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मौजा– हरला, थाना–बरही,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
36	1438	2.18 ए0	उ0– नीज द0– जंगल पू0– बिसूनधारी यादव प0– नीज

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि राजा सुरेन्द्रनाथ कर्णदेव बरसोत के द्वारा उनके पिता बिसुन महतो पिता स्व0 सुकर महतो के नाम से हुकुमनामा से प्राप्त है। हुकुमनामा सन 1941 ई0 से आज तक शांतिपूर्वक जोत–आबाद एवं खेती–बारी करते चले आ रहे है। जमींदारी खत्म होने के बाद बिहार सरकार अंचल कार्यालय बरही के पंजी II में बिसुन महतो पिता सुकर महतो पेज न0 128/I सरकारी रसिद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। उसके बाद से ही आवेदक एवं उनके पिता प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा में रहे है। इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण फॉरजरी पेपर फर्द रिर्पोट अमीन जिसका खाता सं–36 शंकर महतो पिता गुरूदयाल महतो के नाम से फर्द रिर्पोट दिखाते है जिसमें प्लॉट न0–397,1305,1438,1446 जो हुकमनामा में दर्ज है तथा पंजी II में खाता 36 में धरमी देवी पति खेलो महतो के नाम से रकवा 2.09 डी0 का कागजात है जो आवेदक के कागजात से भिन्न है। विपक्षीगण जाली पेपर देखाकर व ताकत वो गुण्डागर्दी के बल पर आवेदक की जमीन को जबरन कब्जा करने पर तुले हुए है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:–

1. प्रश्नगत भूमि का हुकुमनामा छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित सत्यापित रजिस्टर II की छायाप्रति।
3. प्रश्नगत भूमि से संबंधित निंगत रशिद की छायाप्रति।

द्वितिय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने पक्ष में कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बरसोत के पूर्व जमींदार सुरेन्द्रनाथ कर्णदेव द्वारा हुकुमनामा दिया गया है। विवादित भूमि सन–1939 में हुकूमनामा के आधार पर प्राप्त है,तथा बंदोबस्ती के बाद भूतपूर्व जमींदार ने जमीनदारी रसीद जारी किया जिसके बाद से सरकारी रसीद कटते चला

आ रहा है। द्वितिय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा दी गई भूमि की सीमा द्वितिय पक्ष की भूमि कि सीमा है जिसमें धान की फसल करते है तथा इनके दखल कब्जा वाली भूमि पर लगे धान की फसल को बर्बाद करने के उददेश्य से वाद को लाया गया है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील एवं प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातों से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को हुकुमनामा से प्रश्नगत भूमि प्राप्त किया है प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का पूर्व से दखल है, जिसे द्वितीय पक्ष बेदखल करना चाहते है। द्वितीय पक्ष का यह कहना कि प्रश्नगत भूमि सन–1939 में हुकूमनामा के आधार पर प्राप्त है के समर्थन में इनके द्वारा कोई साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर द्वितिय पक्ष का दावा सरासर निराधार वो बेबुनियाद है जबकि प्रथम पक्ष का दावा सबल प्रतित होता है।

फलतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में वर्तमान वाद की कार्रवाई प्रथम पक्ष के हित में रिक्त (Vacate) एवं द्वितिय पक्ष के विरूद्ध नियमन निरपेक्ष (Absolute) घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

9/2/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

9/2/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 18:00:49 +05:30
Location: 192.168.101.238